E: ISSN NO.: 2349-980X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

# वैश्वीकरण का जनजाति समाज पर प्रभाव

**सारांश**

हम एक ऐसी दुनिया में रह रहें है जिसमें पारस्परिक बराबर बढ़ती जा रही है। यह पारिस्परिकता विभिन्न लोगों में क्षेत्रों में और देशों में देखने को मिलती है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं इस पारस्परिकता को तकनीकी भाषा में वैश्वीकरण कहते हैं। इसे वैश्वीकरण और भूमण्डलीकरण भी कहते हैं। यह इसलिए कि इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रक्रियाएँ सारे संसार को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जब तक वैश्वीकरण का उल्लेख नहीं किया जाता। कोई भी कृति हो, कैसी ही गोष्ठी हो, चाहे बौद्धिकों का जमावड़ा हो, सब अधूरा है, अप्रासंगिक है जब तक सार्वभौमीकरण का संदर्भ नहीं दिया जाता 1 कहना चाहिए–समाज विज्ञानों का आज जो पागलपन है, क्रेय या सनक है, घूम–फिर कर इसी अवधारणा पर टिक जाता है। इस अध्याय में हम भी छूट नहीं सकते। यहाँ देखेंगे कि किस भाँति सार्वभौमीकरण आदिवासियों को प्रभावित करता है।

**मुख्य शब्द :** वैश्वीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण व जनजाति समाज।

**रिषपाल मीना**
पोस्ट डॉक्टरल फेलो,
समाजशास्त्र विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

**प्रस्तावना**

सार्वभौम का सरल अर्थ है, वह प्रक्रिया जो सम्पूर्ण विश्व पर लागू होती है। सम्पूर्ण विश्व में भाँति–भाँति के संस्कृति क्षेत्र हैं, लोग हैं, समूह हैं और देश हैं। इसमें अपनी सामाजिक संस्थाएँ हैं, राजनीतिक गठबन्धन हैं। इन सबको जो प्रभावित करता है, इन सब में जो संयोजन और अनुबंध करता है, वहीं सार्वभौमिक है। इसकी कई परिभाएँ हैं। इसके मूल में पारस्परिक निर्भरता है। यह एक ऐसा कारक है जो सम्पूर्ण दुनिया को अपनी छतरी के नीचे खींच लाता है। यहाँ हम सार्वभौमिकता की कुछ परिभाषाएँ देंगे।

1. एंथनी गिडेन्स के अनुसार जैसे–जैसे सामाजिक और आर्थिक सम्बन्ध दुनियाभर में बढ़ते जाते हैं, वैसे ही लोगों, क्षेत्रों और देशों के बीच में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाती है। यही वैश्वीकरण है। गिडेन्स वैश्वीकरण का मूल आधार अन्तर्निर्भरता को मानते हैं। हेनरीमैन ने कहा था कि भारत के गाँव अपने आप में एक गणतंत्र हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति गाँव स्वयं कर लेता है। वह किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन आज यह आत्मनिर्भरता की बात नहीं रही। चाय, साबुन, कपड़ा, खाने का तेल, मंजन, सभी गाँव के बाहर से आते हैं और गाँव के अनाज, दाल, सब्जी बाहर जाते हैं। यह अन्तर्निर्भरता है। यानी वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण की परम्परागत परिभाषाएँ आज अप्रासंगिक हो गई हैं। केवल आर्थिक अन्तर्निर्भरता कह देने से वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट नहीं होता।
2. फ्रांसिस फूकोयामा के अनुसार पूँजीवाद आने के बाद ''इतिहास का अन्त आ गया है।'' कुछ आशाएँ थी रूस के समाजवाद से पर इसके अवसान के बाद अब तो दुनिया के सामने केवल पूँजीवादी के कई अवतार हैं–औद्योगिक, वैश्वीकरण और कुछ न होकर एक विश्वव्यापी पूँजीवादी शक्ति है जो लोगों को एक सूत्र में बाँधती है। यह पूँजीवादी व्यवस्था ही वैश्वीकरण है। जो आर्थिक अन्तर्निर्भरता तो पैदा करता है, जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार का वैश्वीकरण देखने को मिलता है। हमारे देश में विदेशी बराबर बढ़ रहा है। हाल में कई विश्वविद्यालय इस निवेश के अन्तर्गत बने हैं। ये विश्वविद्यालय जो एक बाढ़ की तरह आए हैं और कुछ न होकर कॉर्पोरेट विश्वविद्यालय हैं। अब दुनिया की पूँजीवादी व्यवस्था वैश्वीकरण के नाम पर शिक्षा स्टेन्डर्ड को भी निर्धारित करने लगी है।
3. डब्ल्यू.डब्ल्यू. रोस्टव के अनुसार आधुनिकीकरण सबसे पहले पश्चिमी देशों में आया पर इसका विस्तार दुनिया के किसी भी देश में देखा जा सकता है। कि आधुनिकीकरण के प्रार्दुभाव की कुछ शर्ते हैं जिनके पूरा होने पर ही यह प्रक्रिया चलती है। लोगों में सांस्कृतिक चेतना होनी चाहिए। नई वस्तुओं को

4. अपनाने की मानसिक तैयारी होनी चाहिए। लोगों की अभिवृत्तियों और मूल्यों में क्रान्ति आनी चाहिए। यह सब होने से आधुनिकता आती है। वैश्वीकरण के आवश्यक संगठक आधुनिकीकरण के निम्न बिन्दू –

(अ) वैश्वीकरण का तत्व आधुनिकीकरण है।

(ब) आधुनिकीकरण में औद्योगीकरण अनिवार्य अंग है।

(स) औद्योगीकरण से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ आती है और इससे एक औद्योगिक समाज का निर्माण होता है।

(द) औद्योगिक समाज में औद्योगिक पूँजीवाद विकसित होता है।

आधुनिकीकरण की आलोचना ने एक नए उपागम को जन्म दिया। इनका कहना है कि अविकसित देश इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए कि ये दकियानूस, परम्परावादी और रूढ़िवादी हैं। इनके विकास में विरोध का कारण विकसित देशों द्वारा इनका शोषण किया जाना है कि आधुनिकता लाना या इसका होना, विकसित देशों के कारण नहीं है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक हैं।

5. मार्शल मेक्लूहान के अनुसार ग्लोबल विलेज का उल्लेख करते हुए कहा था कि इलेक्ट्रोनिक संचार दूर–दराज से गाँव में पहुँच जाता है। गाँव के लोग टी.वी. के सामने बैठकर दुनियाभर की खबरें देखते हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम का आनन्द लेते हैं। अपने आस–पास के देशों की जीवन पद्धति देखते हैं। इसमें बदलाव तब आया, जब जनजाति समाज से निकलकर मैदानों में आए और उन्होंने कृषि को जीविकोपार्जन का साधन बनाया। अब उनका जातीय समाज से सम्पर्क हुआ और जब जातीय आधुनिकता और वैश्वीकरण के प्रभाव में आया तब जनजाति समाज इससे अछूते नहीं रहे। समय की गति ने जनजातियों को कृषक बना दिया और अब वे कुशल कृषक हो गए। गाँवों में स्थाई रूप से रहकर उन्होंने वैश्वीकरण को अपने विकास का माध्यम बनाया और वे पूरी ताकत से इस रास्ते चल पड़े। उत्तर–पूर्व के जनजाति समाज पहले ही आधुनिकता की दौड़ में सम्मिलित हो गए थे। मध्य भाग में रहने वाले जनजाति भी सरकारी योजनाओं और शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा शिक्षा के कारण वैश्वीकरण की ओर बढ़ने लगे।

**वैश्वीकरण का जनजाति समाज पर प्रभाव**

वैश्वीकरण एक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत औद्योगीकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण, शिक्षा और यन्त्रीकरण सम्मिलित हैं। इस प्रक्रिया ने जनजाति समाज को झकझोर दिया है। सामान्यतया जनजाति समाज खेती–बाड़ी करते आ रहे हैं। वे सामन्ती युग से गुजरे हैं। ये सामन्त, जागीरदार, जमींदार और बड़े किसान रहे हैं। इस व्यवस्था में जनजाति किसान छोटे किसान, सीमान्त किसान, भूमिहीन किसान और कृषि मजदूर रहे हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने अब जनजातियों को वर्ग समुदाय बना दिया। आज जो जनजातियों का वर्गीकरण किया जाता है, इसमें सबसे ऊपर बड़े किसान आते हैं और सबसे नीचे कृषि मजदूर। इस तरह, वर्गो पर आधारित व्यवस्था नहीं थी। वैश्वीकरण की बहुत बड़ी शक्ति पूँजीवाद है। औद्योगीकरण का आधार अधिकतम पूँजी निवेश है। कृषि में जितना अधिक पूँजी का निवेश और यन्त्रीकरण होगा उतना ही, अधिक उत्पादन होगा। कुल मिलाकर, किसी भी उद्योग की तरह कृषि में भी धन का निवेश प्रचण्ड हो गया है। इसने कृषि को पूँजीवादी बना दिया है। यहाँ जनजाति पिछड़ जाते हैं। उनके पास कृषि में लगाने के लिए धन की कमी होती है।

जौन ब्रिमेन के अनुसार दक्षिण गुजरात के किसानों और जनजातियों में आनुभविक अध्ययन किया है। वे अपनी प्राप्तियों को पेट्रोनेज एण्ड एक्सप्लोइटेशन तथा ऑफ पिजेन्ट्स, माइग्रन्ट्स एण्ड पापर्स पुस्तकों में रखते हैं। दक्षिणी गुजरात में उन्होंने पाया कि किसानों में वैश्वीकरण यानी आधुनिकीकरण के कारण खेतिहारों के सम्बन्ध बदल गए हैं। नई अर्थव्यवस्था ने मुद्रीकरण को बढ़ावा दिया है। पूँजीवादी कृषि विधि ने जनजाति किसानों में गैर बराबरी बढ़ा दी है। अब बड़े किसान अतिरिक्त श्रम को बढ़ावा दे रहे हैं। छोटे किसान अपनी न्यूनतम कृषि भूमि को बेच रहे हैं। कुल मिलाकर पूँजीवादी कृषि विधि ने किसानों को प्रवासी बना दिया है, कंगाल कर दिया है। पहले जनजाति वस्तु विनिमय करत थे। अब इसका स्थान मुद्रा ने ले लिया है। आज बाजार का मुहावरा ''पैसा दो और वस्तु खरीदों'' है।

**अध्ययन का उद्देश्य**

1. जनजाति समाज में स्त्रियों की बदलती हुई प्रस्थिति का मूल्यांकन करना है।
2. जनजाति समाज के लोगों ने कौन–कौन से नवीन व्यवसाय/धंधे व नौकरियों को अपनाया है।
3. जनजाति समाज पर औद्योगीकरण, नगरीकरण तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ा है।
4. जनजाति समाज में शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता से व्यवसाय में आ रहे परिवर्तनों का मूल्यांकन करना है।
5. जनजाति समाज में परम्परागत मान्यताओं के प्रति विचारों में हो रहे परिवर्तनों का मूल्यांकन करना है।

**बाजार**

वस्तु के मूल्य को बाजार तय करता है। वैश्वीकरण के आने से पहले किसान का बाजार से बहुत कम काम पड़ता था। वह अपने पहाड़ से उतर कर, जंगल से निकल कर अपनी आवश्यक वस्तुओं जैसे कि नमक, तम्बाकू, चाय और गुड़ खरीदने के लिए आता था। अब उसकी प्राथमिक आवश्यकताएँ बढ़ गई हैं। उसका कृषि उत्पादन पूँजीवादी व्यवस्था में अधिक हो गया है और इस कारण उसके उत्पादन, विनिमय, उपभोग के केन्द्र बाजार हो गए हैं। अब बाजार के माध्यम से किसान व्यापक अर्थव्यवस्था का अंग बन गया है। कृषि उपज मण्डियाँ बढ़ती हुई अन्तरनिर्भरता के बहुत अच्छे दृष्टान्त हैं।

**विविध व्यवसाय**

जनजाति व्यवसाय के क्षेत्र में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वे जंगल की लकड़ी काटते थे, पहाड़ से पत्थर निकालते थे और अब मैदान में आकर गन्ने, तम्बाकू और कपास की खेती करने लगे हैं। वे कृषक बन गए है।

यह उनके व्यवसाय का कोई अन्तिम पड़ाव नहीं है। कृषक से आगे बढ़कर उन्होंने भाँति–भाँति के व्यवसाय करने प्रारम्भ कर दिए हैं। आधुनिकीकरण ने उनके व्यवसाय में विविधता ला दी है। अब जनजाति लोग में आकर सफेदपोश धन्धे करने लगे हैं और कई तरह के व्यवसाय करने लग गए हैं। कारखाने में मजदूरी करना, भवन निर्माण और सड़क बनाने का काम में दिहाड़ी करना, उनके व्यवसाय बन गए हैं। कुल मिलाकर वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण ने जनजातियों को कई व्यवसायों में डाल दिया है।

**भोजन, वेशभूषा और आवास**

वैश्वीकरण का स्पष्ट दिखाई देने वाला प्रभाव जनजातियों के भोजन, पहनावा और निवास पर है। अब जनजाति खेती के बाहर भी, गाँव से दूर भी काम करने लगे हैं। इसने उनके खान–पान में अन्तर ला दिया है। कारखाने और शहर के लोग जिस प्रकार के भोजन को करते हैं, इसे जनजातियों ने भी अपना लिया है। इस बदलाव ने भोजन की स्थानीय आदतों में बड़ा अन्तर ला दिया है। होटलों के खान–पान का व्यवहार धीरे–धीरे जनजातियों को रास आने लगा है। पहनावें में परम्परागत पोशाक लुप्त होने लगी है। स्त्रियों के लिए, साड़ी का स्थान कुर्ता–कमीज़ लेने लगे हैं।

वेरिअर एल्विन के अनुसार जनजाति गाँवों की बसावट छितरी होती है। देश के लोग जनजाति ऐसी बसावट में ही रहते हैं, लेकिन हाल के अनुसंधान बताते हैं कि शहरों और कस्बों में रहने वाले जनजाति लोग अब सघन बस्तियों में रहने लगे हैं। मकान की बनावट शहरी मकानों की तरह पक्की होती है।

**कमजोर होती जनजाति बोलियाँ**

स्थानान्तरण ने जनजातियों की बोलियों को बड़ा कमजोर कर दिया है। वे अब गैर जनजातियों के साथ सम्पर्क में अपनी बोली में बात नहीं करते। या तो वे सम्भाग की बोली में बोलते हैं या हिन्दी–अंग्रेजी में बोलते हैं। बोली के इस बदलाव का कारण स्पष्ट रूप से आधुनिकीकरण के कारण है। बोली का यह परिवर्तन जनजाति संस्कृति को भी कमजोर कर देता है।

**आधुनिक तकनीकी के प्रति रूझान**

अधुनिकीकरण ने जनजातियों को घनिष्ठ रूप से तकनीकी के रू–ब–रू कर दिया है। अब जनजाति क्षेत्रों में मीडिया पहुँच गया है। टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा और कम्प्यूटर तक इन क्षेत्रों में पहुँच गए हैं। मीडिया का यह नेटवर्क उन्हें पलक झपकते दुनिया के साथ जोड़ देता है।

पूँजीवादी कृषि ने उन्हें ट्रैक्टर, थ्रेशर, सिंचाई पम्प से अवगत करा दिया है। उन्हें यह विश्वास होने लगा है कि आधुनिकीकरण की यह तकनीकी उन्हें विकास की ओर ले जाएगी। बिजली, आवागमन के साधन अब इन समुदायों के लिए, आश्चर्य की वस्तुएँ नहीं हैं। यदि इनकी जेब में पैसा है तो ये एलोपेथिक दवाईयों को अपनी पहली पसन्द देंगे। आधुनिकीकरण के प्रभाव को जनजाति जीवन में अच्छी तरह से देखा जा सकता है। पंसारी और कैमिस्ट की दुकानों पर इनको कॉस्मेटिक्स और डिब्बे में बन्द खाने–पीने की वस्तुओं को खरीदते हुए देखना सामान्य बात है।

**परम्परागत पंचायतें टूट रही हैं**

जनजाति क्षेत्रों में परम्परागत पंचायतों का बड़ा दबदबा था। इन पंचायतों की सदस्यता वंशानुगत थी। आज भी ये पंचायतें जीवित हैं, पर इनका प्रभाव बहुत सीमित है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब जनजाति प्रजातांत्रिक हो गए हैं। वे राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पंचायत से लेकर संसद तक में उनकी भागीदारी है।

इस सिलसिले में यह अवश्य कहना चाहिए कि आम जनजाति जो गरीबी की रेखा से नीचे है, दिहाड़ी करने वाला है, सीमान्त और भूमिहीन कृषक है, उसे इस व्यवस्था से कुछ विशेष हाथ नहीं लगता। जनजाति बड़े किसान के नाम पर अपनी झोली भर लेते हैं। वैश्वीकरण के लाभ उनको मिलते हैं जिनके पास धंधे में निवेश करने के लिए पूँजी है। देखा जाए तो केन्द्रीय और राज्य सरकारों का विशेष ध्यान बड़े जनजातियों पर है। तकनीकी और प्रौद्योगिकी है, पर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए नहीं। जनजाति प्रजातांत्रिक तो हैं पर उन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिलता।

**वैश्वीकरण ने मनोरंजन के नए साधन दिए हैं**

आधुनिकीकरण के आने से पहले जनजातियों का मनोरंजन उनकी कला, लोक साहित्य, नाच–गाने, मेले–ठेले में गुजर जाता था। आज ये परम्परागत साधन नए मनोरंजन के सामने–टेलीविजन, रेडियो घुटने टेक कर बैठ गए हैं। वैश्वीकरण का यह प्रभाव स्थानीय संस्कृति के कमजोर होने के लिए उत्तरदायी है। अब इन परम्परागत साधनों का प्रयोग केवल राष्ट्रीय उत्सवों में ही देखा जा सकता है। गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सरकार इनका आयोजन करती है। यह बताने के लिए कि हमारे जनजातियों की सांस्कृतिक धरोहर बड़ी धनढ्य है। वास्तविक यह है कि यह धरोहर सरकार और वैश्वीकरण के कारण समाप्ति के कगार पर है।

**निष्कर्ष**

वैश्विक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, का जनजाति समाज पर हो रहे प्रभाव का उल्लेख किया गया है। वैश्विक प्रक्रियाओं से जनजाति समाज आधुनिकता की ओर अग्रसर है। निष्कर्ष के रूप में जनजाति समाज में हो रहे विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है। निष्कर्ष में हम यह कह सकते है कि एक अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में है तथा भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति को मुख्य रूप से पाँच विशेषताओं के आधार पर इसे पहचाना गया है। अध्ययन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य जाति वर्ग के साथ–साथ जनजाति समाज का भी उसी गति से विकास हो रहा है, जिससे जनजाति की पहचान का संकट समाज के समक्ष उभरकर आने की संभावना है।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

*गिडेन्स एन्थनी, 2001, सोशियालॉपी पाँचवां एडीशन, यू.के. पालिटी प्रेस।*

*फूकोयामा, फ्रैंसिस, 1992, एण्ड ऑफ हिस्ट्री एण्ड दी लास्ट मैन, न्यूयॉर्क, दी फ्री प्रेस।*

*Rostow, W.W. 1991, n LVstl vkWQ bdkWuksfed xzksFk&, ukWu dE;wfuLV eSfuQsLVks Combridge University Press, Delhi.*

*Mcluhan, Marshall, 1992, Global Village, Oxford University Press.*

*Breman, Jan, 1985 of peasants, migrants and Paupass, Delhi, Oxford University Press.*

*Elwin, Verrier, A philosophy for NEFA (2nd ed.) Shillowng, 1969, 1943, Loss of The Nerve: A comparative study of The Result of The contact of peoples in the Aboriginal Areas of Bastar State and Central Provinces in India. Bombay Wagle Press.*